संख्या 1084 / 2011 / 66(120) / XXVII(8) / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनॉकः देहरादूनः 11 नवम्बर, 2011

विषय– उत्तराखण्ड में टैन्ट व्यवसायियों के लिये वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 4116 दिनांक 31–10–2011 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा टैन्ट व्यवसायियों के लिये समाधान योजना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 तीन वर्षो के लिये देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान योजना लाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से सम्बन्धित शासन के दिशा निर्देश एवं प्रारूप 1 व 2 संलग्न प्रेषित हैं। इस योजना का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए यथोचित कार्यवाही कृपया प्राथमिकता से सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून 14 11 2011

vividh+official letters/Letter/dt

टैन्ट व्यवसायियों के लिये वित्तीय वर्ष 2009–2010 से वर्ष 2011–2012 तक माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर वाणिज्य कर के विकल्प में एक मुश्त समाधान धनराशि स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश।

टैन्ट व्यवसाइयों के लिये वित्तीय वर्ष 2009–2010 से वर्ष 2011–2012 तक टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी कालीन दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचेन वेयर, सजावट के सामान आदि के माल के उपयोग करने के अधिकार के अन्तरण पर वाणिज्य कर के विकल्प में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अन्तर्गत समाधान राशि निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार की जायेगी:–

1– टैन्ट व्यवसाइयों का तात्पर्य ऐसे व्यवसायियों से है जो टैन्ट कनात, मेज, कुर्सी, कालीन दरी, चादर सजावट के सामान आदि के माल के उपयोग करने के अधिकार का अन्तरण अन्य टैन्ट व्यवसायी अन्यथा अन्य ग्राहकों को करते हैं।

2– सामाधान धनराशि वर्ष के प्रारम्भ में व्यवसायियों के पास उपलब्ध स्टाक के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

समाधान धनराशि

स्टॉक सीमा वर्ष	रूपये 5 लाख तक	रूपये 5 लाख से रूपये 15 लाख तक	रूपये 15 लाख से रूपये 25 लाख तक	रूपये 25 लाख से रूपये 50 लाख तक
2009–2010	रू0 6000.00	रू0 24,000.00	रू0 61,200.00	रू0 1,09,200.00
2010–2011	रू0 7,200.00	रू0 28,800.00	रू0 73,440.00	रू0 1,31,040.00
2011–2012	रू0 8,640.00	रू0 34,560.00	रू0 88,130.00	रू0 1,57,250.00

3– जो व्यवसायी देय वाणिज्य कर के स्थान पर धारा 7(2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते है, वे ऐसा प्रार्थना–पत्र निर्धारित प्रारूप में उपरोक्तानुसार समाधान धनराशि के जमा करने के प्रमाण के साथ वर्ष 2009–2010 के लिये समाधान योजना लागू होने के दो सप्ताह के अन्दर अथवा विलम्बतम 15–12–2011 तक कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। आगे के वर्षों के सम्बन्ध में आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक वांछित कागजात प्रस्तुत करने का विकल्प रहेगा। आयुक्त कर को अधिकार होगा कि समाधान राशि को एकमुश्त अथवा उनके द्वारा निर्धारित किश्तों मे निर्धारित समयावधि के अन्दर जमा करा दिया जाय।

4– यह समाधान योजना वैकल्पिक है। जो व्यवसायी समाधान योजना एक बार अपना लेंगे उन्हें इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वे सामाधान योजना का विकल्प वापस ले लें ।

5– जो व्यवसायी एक से अधिक जनपदों में कार्य करते है, वह अपने मुख्यालय की घोषणा सम्बन्धित मुख्यालय के कर निर्धारक अधिकारी को देंगे तथा अन्य जिलों के ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियों, जिनके क्षेत्र में उनका उप–व्यापार स्थल स्थित है, को भी सूचित करेंगे। जिन व्यवसायियों का मुख्यालय उत्तराखण्ड राज्य के बाहर अथवा भारत वर्ष के बाहर हो तथा उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर भी विभिन्न जिलों में कार्य किया जाता हो ऐसे व्यवसायी उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर किसी एक कार्यस्थल को अपना प्रदेशीय मुख्यालय घोषित करेंगे।

6— कमिश्नर वाणिज्य कर को यह अधिकार होगा कि वह सामान्य रूप से अथवा किसी विशेष मामले में समाधान योजना में शामिल होने के लिये विकल्प प्रार्थना—पत्र देने का समय बढ़ा सके।

7— समाधान राशि, उस पर देय ब्याज तथा अर्थदण्ड की वसूली उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 के प्राविधानों के अन्तर्गत भू—राजस्व की बकाया के रूप में की जायेगी तथा धारा 58 के प्राविधानों के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है।

8— यदि यह पाया जाता है कि व्यवसायी द्वारा समाधान योजना में शामिल होने हेतु दिये प्रार्थना—पत्र /शपथ—पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा कोई गलत विवरण दिया गया है तो कर निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह एकमुश्त धनराशि, जमा करने के सम्बन्ध में हुये अनुबन्ध को निरस्त कर सके तथा नियमानुसार कर निर्धारण, अर्थदण्ड अथवा अभियोजन की कार्यवाही कर सके।

9— समाधान योजना अपनाने वाले व्यवसायी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने स्टॉक का विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी स्टॉक का सत्यापन कर सकेंगे। करदाता व कर निर्धारण अधिकारी के स्टॉक के अनुमान में भिन्नता की स्थिति में सम्भागीय ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) का निर्णय अन्तिम होगा।

10— यदि कोई टैन्ट कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर सजावट के सामान आदि के माल के प्रयोग के लिये अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार करता है तब ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

11— समाधान योजना के सम्बन्ध में घोषित स्टाक के मूल्य का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी सर्वेक्षण एवं अभिलेखों की जॉच कर सकेंगे। व्यवसायी इस जॉच में सहयोग करेंगे। असहयोग की स्थिति में उनका समाधान प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

12— समाधान योजना जारी होने के निर्धारित अवधि के अन्दर जो व्यवसायी समाधान योजना का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनके मामलों में पंजीयन प्राप्त करने तथा मासिक/ त्रैमासिक रूपपत्र प्रस्तुत न करने और स्वीकृत देय कर जमा न करने के मामलों में विधि अनुसार अर्थदण्ड आदि की कार्यवाहियाँ तत्परतापूर्वक की जायेगी।

13— वर्ष 2009—10, 2010—11 एवं 2011—12 के लिये जिन व्यवसायियों द्वारा समाधान योजना के पूर्व स्वयं अपनी ओर से कोई धनराशि जमा की जा चुकी है तो समाधान योजना अपनाने पर जमा धनराशि का समायोजन सम्बन्धित वर्ष के लिये लागू समाधान योजना में कर दिया जायेगा बशर्ते वसूली धनराशि न हो।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रारूप–1

उत्तराखण्ड राज्य में टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर वाणिज्य कर के विकल्प में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 7(2) के अन्तर्गत समाधान हेतु प्रार्थना पत्र।

सेवा में,

असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

महोदय,

मैं, फर्म सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय .....पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 में.....कार्यालय..... द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक..... से प्रभावी जारी किया गया का स्वामी / साझीदार..... हूँ। मैंने टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि की उक्त अवधि में किये गये माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय वाणिज्य कर के विकल्प में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भली भांति समझ लिया है। उस निर्देश की सभी शर्ते मुझे मान्य हैं। उन्हीं के अधीन में यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि..... की अवधि के लिये, माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय वाणिज्य कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ–पत्र / अनुबन्ध के अनुसार रूपया..... स्वीकार किये जाने का निवेदन करता / करती हूँ। उक्त धनराशि मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है जिसका चालान संलग्न है मैं..... यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि किसी कारण मेरा यह निवेदन वापस / निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक..... को मेरे यहाँ स्टाक निम्नवत थाः–

क्रम संख्या	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग–अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
5				
योग				

मेरी उपर्युक्त फर्म द्वारा अन्य कोई व्यापार नहीं किया जाता है। यदि मेरे फर्म द्वारा उपर्युक्त माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त भी व्यापार किया जाता है तो ऐसे अन्य

व्यापार के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अर्न्तगत रिटर्न प्रस्तुत करने, कर जमा करने, कर निर्धारण करने की नियमित कार्यवाही कराऊँगा। भविष्य में भी अन्य व्यापार प्रारम्भ करने की स्थिति में भी यही प्राविधान मान्य होगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म ..... के स्वामी/ साझीदार..... हैं। तथा इस प्रार्थना–पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

आवश्यकतानुसार अवधि/ तिथि का उल्लेख किया जाये।

प्रारूप–2
शपथ पत्र/ अनुबन्ध पत्र

असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल/ उपमण्डल.....
मैं.....पुत्र श्री..... आयु लगभग..... वर्ष स्थायी निवासी ..... (पूरा पता) .....
.....शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि–

1– मैं फर्म सर्वश्री..... जिसका मुख्यालय..... (पूरा पता) स्थित है का स्वामी/ साझीदार हूँ..... (प्रास्थिति) हूँ। तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा/ रही हूँ।

2– मेरी फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं–

पूरा पता	वस्तुऐं जिन्हें किराये पर दिया जाता है
1– मुख्यालय	
2– शाखायें	
(अ)	
(ब)	
(स)	

इसके अतिरिक्त प्रदेश में मेरी कोई अन्य शाखा नहीं है।

3– फर्म द्वारा टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, गद्दा, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि में माल के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण से प्राप्त धनराशि पर देय वाणिज्य कर के स्थान पर उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एक मुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है तथा सभी निर्देश, शर्ते, आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेगें।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी टैन्ट, कनात, मेज, कुर्सी, कालीन, दरी, चादर, तकिया, रजायी, कम्बल, किचन वेयर, सजावट के सामान आदि का दिनांक..... को निम्नलिखित विवरण के अनुसार माल स्टाक में था/ है–

क्रम संख्या	माल का विवरण (साइज के अनुसार अलग–अलग)	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
5				
योग				

(आवश्यकतानुसार अलग संलग्नक का प्रयोग किया जा सकता है)

5– प्रस्तर 4 में अंकित स्टाक, मात्रा, मूल्य तथा इसी तालिका में प्रस्तर 4 में अंकित धनराशि का कुल योग दिनांक..... को रूपया..... था, जिसके अनुसार समाधान राशि मेरी फर्म/ हमारी फर्म द्वारा देय होगी।

6– यदि वित्तीय वर्ष दिनांक..... से..... तथा वित्तीय वर्ष दिनांक..... .....से दिनांक..... के लिये मेरा समाधान धनराशि का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुलग्नक 1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगाई गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों में दिये गए आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिये बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तराखण्ड सरकार तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियाँ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगी।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं ..... उपरोक्त घोषणा करता/ करती हूँ कि शपथ पत्र/ अनुबन्ध के प्रस्तर 1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तो और निर्देशों से मैं तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेंगे।

हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पता.....

तिथि एवं स्थान.....